फर्द अहकाम

प्रेमलता बनाम राजेन्द्र कुमार

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर

केस संख्या Ti /04/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	सुनवाई अस्थाई खारिज T.I. अर्जी कोर्ट दाखिल दफ्तर मानी जावे। (हस्ताक्षर) (परिवादी आदेश)	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी / अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। पत्रावली में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी व अप्रार्थीगण 02 की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को बहस मान निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। वहीं अप्रार्थी संख्या -02 ने निवेदन किया कि प्रार्थिया का उक्त विवादग्रस्त भूमि का घोषणा न पाया है व प्रार्थिया के पास मौके का Possession भी नहीं है अतः "No Possession No Injuction" के अनुसार प्रार्थिया का मौके पर काबिज व जमीन के खातेदारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का कोई अधिकार नहीं है। उभयपक्षों की बहस व पत्रावली का मनन कर पाया कि सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण की तरफ प्रतीत होता है किसी पुख्ता कारण/ urgency के बिना मौके पर काबिज भूमि के खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.29 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

म न्यायालय सहाय
स संख्या
म संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

Scanned with CamScanner